राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–462/2020

राकेश कुमावत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
2. जिला कलेक्टर, उदयपुर।
3. कमलेश सामोता, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तहसील कार्यालय बड़गांव, जिला उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.09.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता,
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गई थी, जिसका बाद में सितम्बर 2017 में नाम परिवर्तित करते हुए कनिष्ठ सहायक किया गया है। प्रत्यर्थी सं.1 के अधीन दिनांक 01.04.2013 को वरिष्ठ सहायक के कुल 66 पद स्वीकृत थे, जो बाद में 71 पद स्वीकृत किये गये। दिनांक 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार व अन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित कुल 61 वरिष्ठ लिपिकों में से दिनांक 31.03.2014 तक सेवानिवृत्ति/पदोन्नति होने से करीब 12 वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ सहायक के पद रिक्त हुए। प्रत्यर्थीगण ने आदेश दिनांक 21.10.2014 के द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची में से पात्रता एवं रोस्टर पॉइन्ट के आधार पर वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान की, जिसमें प्रत्यर्थी सं.3 को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई तथा अपीलार्थी को उक्त वर्ष में पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी को दिनांक 26.12.2013 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को आरोप पत्र राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र जारी किया, जिसका अपीलार्थी ने जबाब प्रस्तुत किया तथा अपीलार्थी के जबाब प्रस्तुत करने के पश्चात् आदेश दिनांक 31.03.2017 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। प्रत्यर्थीगण

द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 31.03.2017 के आदेश द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित करने के पश्चात् आदेश दिनांक 29.01.2018 के द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण को फरवरी, 2018 में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी से कनिष्ठ को वर्ष 2013–14 में वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है तथा सेवानियमों के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 01.04.2013 तक ना तो विभाग द्वारा कोई आरोप पत्र जारी किया गया व ना ही अपीलार्थी को दिया गया। नियमानुसार पिछले 7 वर्ष का रिकॉर्ड ही पदोन्नति हेतु देखा जाता है। इसलिये अपीलार्थी के विरूद्ध विभाग द्वारा कोई आरोप पत्र जारी नहीं करने के कारण दिनांक 01.04.2013 से पूर्व रिक्ति वर्षों में अपीलार्थी को वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति की जावें, जिस पर प्रत्यर्थीगण ने आदेश दिनांक 21.08.2019 के द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति पर पुनर्विचार करते हुए अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की तथा अपीलार्थी को अवैध व अनुचित रूप से वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान नहीं की। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

> ''(क) प्रत्यर्थीगण से समस्त रिकॉर्ड तलब किया जावें तथा अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जावें कि अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावें तथा वे समस्त लाभ प्रदान किये जावें जो प्रत्यर्थी सं.3 को दिये गये है तथा प्रत्यर्थी सं.3 से पूर्व वरिष्ठ सहायक के पद की वरिष्ठता निर्धारित की जावें एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर सेवा नियमों के अनुसार अपीलार्थी की वरिष्ठता के अनुसार प्रत्यर्थी सं.3 से पूर्व पदोन्नति समस्त लाभों सहित प्रदान की जावें।
>
> (ख) खर्चा अपील दिलाया जावे।
>
> (ग) अन्य सहायता जो माननीय अधिकरण अपीलार्थी के पक्ष में उचित समझे, दिलवाई जावे।''

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 की डीपीसी दिनांक 08.10.2014 को आयोजित की गई। तत्समय विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध 17

सीसीए कार्यवाही विचारधीन होने से इन्हें वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक आयोजित विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा लिफाफा बंद रखा जाकर पद रिक्त रखा गया। श्री कुमावत के विरूद्ध 17 सीसीए प्रकरण में जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश क्रमांकः एफ.1(सी)17(5)स्था/2013/289 दिनांक 31.03.2017 द्वारा किये गए निर्णय में कार्मिक के विरूद्ध एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित करने के फलस्वरूप कार्मिक को एक वर्ष पश्चात अर्थात् वर्ष 2016–17 के बजाय एक वर्ष 2017–18 में पदोन्नति प्रदान करने की अनुशंषा की गई थी। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(1) कार्मिक/क–2/अ.प्र./91 दिनांक 04.06.2008 के तहत अपीलार्थी को केवल एक पदोन्नति वर्ष तक पदोन्नति से वंचित रखने के प्रावधान के क्रम में पुनर्विलोकन विभागीय समिति द्वारा दिनांक 06.08.2019 को बैठक आयोजित कर सम्पूर्ण मामले, तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेख के आधार पर वर्ष 2017–18 की बजाय जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर के आदेश दिनांक 31.03.2017 द्वारा अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें पदोन्नति देय वर्ष 2013–14 के एक वर्ष पश्चात् वर्ष 2014–15 में वरिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर पदोन्नत किया गया।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के अनुसार जिस वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार किया जाना है उससे पूर्व के 7 वर्षो का अभिलेख देखा जाना होता है। अतः वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध दिनांक 01.04.2013 से पूर्व का अभिलेख देखा जाना है। कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 04.06.2008 का मद संख्या 12.2 निम्न प्रकार है :–

> ''12.2 अनुशासनिक कार्यवाही के सन्दर्भ में यह स्पष्ट स्थिति है कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोप पत्र विधिवत रूप से प्रसारित किये जाने की स्थिति में ही अनुशासनिक जांच कार्यवाही लम्बित होना माना जाएगा।''

4. उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोप पत्र प्रसारित किये जाने की स्थिति में अनुशासनिक कार्यवाही जांच लम्बित होना मानी जाएगी। हम पाते हैं कि दिनांक 01.04.2013 तक अपीलार्थी को आरोप पत्र प्रसारित नहीं किया गया था। अपीलार्थी को आरोप पत्र दिनांक

26.12.2013 को जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में वर्ष 2013–14 की रिक्तियों पर विचार किये जाने में कोई बाधा नहीं थी। अपीलार्थी को जो दण्डादेश प्राप्त हुआ है, वह भी दिनांक 01.04.2013 के बाद ही प्राप्त हुआ है। ऐसे में वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के संबंध में अपीलार्थी को बाद में दिनांक 31.03.2017 को दिया गया दण्डादेश नहीं देखा जा सकता। ऐसे में अपीलार्थी को जो एक वर्ष की वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया है, उसका प्रभाव वर्ष 2013–14 की रिक्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता था।

5. परिणामस्वरूप हम पाते हैं कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति पर विचार किया जा सकता था। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की रिव्यू डीपीसी आयोजित की जाकर अपीलार्थी की पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार किया जाए और अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति योग्य पाया जाता है तो अपीलार्थी को नियमानुसार पदोन्नति दी जाकर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जाए।
6. उपरोक्त कार्यवाही चार माह में पूर्ण करना सुनिश्चित की जाए।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)